मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः01.05.2026

थाना सन्तनगर पुलिस टीम द्वारा ₹ 25 हजार के ईनामिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना सन्तनगर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है । आज दिनांक 01.05.2026 को थाना सन्तनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-26/2026 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि. से सम्बन्धित ₹ 25 हजार के ईनामियां वांछित अभियुक्त परमहंस यादव पुत्र सुग्रीव सिंह यादव निवासी निरंजनपुर थाना चौनपुर कैमूर भभूआ बिहार को गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सन्तनगर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

परमहंस यादव पुत्र सुग्रीव सिंह यादव निवासी निरंजनपुर थाना चौनपुर कैमूर भभूआ बिहार, उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-26/2026 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि. थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-12/2024 धारा 3/5ए/8/5ख गोवध निवारण अधि. थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मय पुलिस टीम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

****